

क्र.सं./ S.No	संपत्ति का विवरण/ Description of Property	निश्चित स्थान (जिला, तालुक का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है और नंबर अदि.) (Name of the District, Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number, etc.)	स्थान मंडल और जिसमें संपत्ति स्थित है और नंबर अदि. (Area of land (in case lands & buildings)	संपत्ति के मामले में भूमि का स्वरूप (Nature of land in case of landed property)	संपत्ति में हिस्सेदारी की सीमा (अंश में) (Extent of interest)	यदि संपत्ति अपने नाम से नहीं है तो बताएं कि उससे सरकारी कर्मचारी का संबंध यदि कोई है ? (If not in own name, state in whose name held & his/ her relationship, if any to Govt. servant)	अधिग्रहण की तारीख/ Date of acquisition	संपत्ति कैसे अर्जित की है ? (क्या खरीद, भूदान, उत्तराधिकार, उपहार अथवा सोत से तो नहीं, तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे अर्जित की गई (संबंधित व्यक्ति/ व्यक्तियों का पता एवं सरकारी कर्मचारी से संबंध, यदि कोई हो) कृपया नीचे नोट-1 देखें। How acquired? (Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise) and name of persons from whom acquired (address and connection of the Government servant, if any, with the person/ persons concerned) Please see Note 1 below	संपत्ति का मूल्य/ Value of the property		निर्धारित प्राधिकारी, यदि कोई हो, की विवरण (Particulars of sanctioning authority, if any)	संपत्ति से कुल वार्षिक आय (Total Annual Income from the property)	टिप्पणियां/ Remarks
									खरीद मूल्य (कृपया नोट-2 देखें) (Purchase Value (see Note 2 below))	वर्तमान मूल्य/ Present Value			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10 a	10 b	11.	12.	13.
				0									

NIL

तारीख/Date: **04.11.2024**

हस्ताक्षर/Signature: **प्र. य. जागतप**

नोट 1 - कॉलम 9 हेतु, 'पट्टे पर ली गई' शब्द से अभिप्राय अचल संपत्ति को वर्ष दर वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक किसी अवधि हेतु पट्टे पर लेने अथवा वार्षिक किराये पर रिजर्व रखने से होगा। तथापि, जहाँ अचल संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति से पट्टे पर प्राप्त की गई जिससे सरकारी कर्मचारी का आधिकारिक तौर पर संबंध है, ऐसे पट्टे को चाहे पट्टे की अवधि कम हो अथवा ज्यादा, किराए के भुगतान की आवधिकता के बावजूद कॉलम में दर्शाया जाए।

Note 1 - For purpose of Column 9, the term lease would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this column irrespective of the term of lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

नोट 2 - कॉलम 10 में निम्नांकित दर्शाएं/ Note 2- In Column 10 should be shown -

- क) जहाँ संपत्ति खरीद, बंधक अथवा पट्टे पर अर्जित की गई हो, तो ऐसे अधिग्रहण हेतु अदा किया गया मूल्य अथवा प्रीमियम/ Where the property has been acquired by purchase, mortgage or lease, the price or premium paid for such acquisition
- ख) जहाँ यह पट्टे पर अधिग्रहित की गई हो, तो इनका कुल वार्षिक किराया भी, तथा/ Where it has been acquired by lease, the total annual rent thereof also; and
- ग) जहाँ अधिग्रहण उत्तराधिकार, उपहार अथवा अदला बदली द्वारा किया गया हो, तो ऐसी अधिग्रहित संपत्ति का अनुमानित मूल्य/ where the acquisition is by inheritance, gift or exchange the approximate value of the property so acquired.